166

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निग-2448-II-16 रिवी.प्र.कं-........../16

श्रीमती गेंदा बाई पत्नि छगनलाल
आयु 50 वर्ष, जाति भिलाला
निवासी-ग्राम सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर म.प्र. .... रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

श्रीमान तहसीलदार, तहसील रेहटी
जिला सीहोर म.प्र. .... उत्तरवादी

लक्ष्मीनारायण चौहान एडवोकेट
25 न्यू राजीव नगर
सेमरा, पिपर
गीतान्जली स्कूल
भोपाल-462010
M. 9826245514

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

रिवीजनकर्ता की ओर से विनम्र प्रार्थना है कि :-

रिवीजनकर्ता माननीय तहसीलदार महोदय तहसील रेहटी जिला सीहोर द्वारा कमांक/रीडर-1/2016/45 रेहटी, दिनांक 03/06/16 को आदेश पारित किया है जिसमें दुखी होकर निम्न तथ्यों एवं कानूनो आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत है आदेश दिनांक 03/06/16 की सत्यापित प्रतिलिपि दिनांक 14/06/16 को प्राप्त हुई है इसलिये यह निगरानी समयसीमा में प्रस्तुत की जा रही है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि - रिवीजनकर्ता ने दिनांक 05/10/2015 को एक आवेदन इस आशय का दिया था कि ग्राम सेमरी पटवारी हल्का नंबर-1 में प्रकरण क्रमांक-4/अ-19/01-02 आदेश दिनांक 30.05.2002 के माध्यम से दी गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर ऋण पुस्तिका दिलायी जाने बाबत् का दिया था जिसमें उनके द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2448–दो/2016 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मीनारायण चौहान उपस्थित । उनके द्वारा तहसीलदार, रेहटी, जिला–सीहोर के प्र0क्र0 रीडर–1/2016/45 रेहटी में पारित आदेश दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थंगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 03.06.2016 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि आवेदिका व उसके पति छगनलाल ने दिनांक 05.10.2015 नायब तहसीलदार टप्पा को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम सेमरी पटवारी हल्का नं0 1 में प्रकरण क्रमांक 4/अ–19/2001–02 आदेश दिनांक 30.05.2002 के माध्यम से दी गई, भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर ऋण पुस्तिका दिलायी जावे, जिसमें नायब	

तहसीलदार टप्पा रेहटी द्वारा आवेदिका को उनके आदेश दिनांक 30.05.2002 प्र0क्र0 4/अ–19/2001–02 के माध्यम से ग्राम सेमरी पटवारी हल्का, नं0 1, तहसील बुधनी, जिला–सीहोर अब वर्तमान में तहसील रेहटी की ख0क्र0 31/05 की भूमि 1.100 है0 लगान 3.10 पैसे का पट्टा दिया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में ख0क्र0 31/15 रकबा 0.700 है0 ही आवेदिका एवं उसके पति के नाम दर्ज किया गया है । परंतु आज दिनांक तक आवेदिका एवं उसके पति छगनलाल का नाम ख0क्र0 31/05 की भूमि 1.100 है0 को न तो राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है न ही उक्त ख0क्र0 31/05 की भू–अधिकार पुस्तिका बनाकर आवेदिका एवं उसके पति छगनलाल को दी गई है । वर्तमान में आवेदिका एवं उसके पति द्वारा उक्त दोनों खसरों की भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य किया जा रहा है ।

4/ इस प्रकरण में जैसा कि आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2016 न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है । यहॉ स्पष्ट किया जाता है कि उनके द्वारा आदेश में 4 पत्र उच्च अधिकारियों द्वारा लिखे गये है इसके पश्चात उनके द्वारा दो साल बाद आदेश पारित किया है जो स्पष्ट रूप से उत्तरवादी की लापरवाही को दर्शाता है । उपरोक्त पट्टों का आवंटन दिनांक 30.05.02 को किया गया है । इसके पश्चात भी मूल रिकार्ड को जिला–न्यायालय के रिकार्ड रूम में जमा नहीं कराया गया है तथा स्थानीय रीडर रामस्नेही दुबे द्वारा उसमें हेरफेर की गई है । दिनांक 30.05.2002 को दिये गये मूल पट्टे की छायाप्रति सी–1 है तथा दिनांक 14.06.16 को दिये गये पट्टे की सत्य प्रतिलिपि सी–2 है,

जिसमें आवेदिका का नाम तो है परंतु ख0क्र0 31/5 रकबा 1.100 है0 लगान 3.10 पैसे का उल्लेख नहीं है । तहसीलदार रेहटी द्वारा दिनांक 03.06.2016 को आवेदिका द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर यह आदेश दिया है कि " यदि आवेदिका एवं उसके पति राजस्व प्रकरण क्रमांक 4/अ–19/2001–02 में आदेश दिनांक 30.05.2002 से असंतुष्ट है तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकते है।" उपरोक्त आदेश के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है । आदेश दिनांक 03.06.2016 को निरस्त कर आवेदिका को पट्टे पर दी गई भूमि 31/5 रकबा 1.100 है0 लगान 3.10 पैसे का इन्द्राज किया जाना न्यायोचित होगा ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण क्रमांक 4/अ–19/2001–02 में खसरा क्रमांक 31/15 रकबा 0.700 है0 लगान के 2.10 का ही पट्टा जारी किया है तो 31/5 रकबा 1.100 है0 लगान 3.10 पैसे का इन्द्राज अभिलेखों में दर्ज कराने का प्रश्न नहीं होता इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल पाये जाने से प्रकरण ग्राह्य योग्य नहीं है । अतः अग्राह्य किया जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य